# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 322/2016 (जीसीएमएस 2016/00247)

1. राकेश कुमार शर्मा दत्तक पुत्र स्व. नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी–गढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।

———अपीलार्थी

**बनाम**

1. गैन्दी देवी पत्नि श्री किस्तुर चन्द शर्मा पुत्री स्व. नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी–गढ तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. मोना उर्फ मनभर पत्नि कल्याण सहाय पुत्री स्व. नारायण,
3. शांति पत्नि रामजीलाल पुत्री स्व. नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी–देवरी तहसील दौसा व जिला दौसा।
4. ग्राम पंचायत गढ जरिये सरपंच तहसील बस्सी जिला जयपुर।

———रेस्पोडेन्ट्स

**निर्णय**

**दिनांक 25.08.2021**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.04.2006 को सर्वसम्मति से खोला गया था तथा अपीलान्ट की बहिन गैन्दी द्वारा गलत नियत से उक्त नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है जो अपील क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही की गई थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 7/2006 में पक्षकार राकेश कुमार, मनभर एवं शान्ति के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बिना बहस सुनवाई की जाकर अपीलाधीन आदेश कैम्प माधोगढ में पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षकारान की सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है किन्तु इस प्रकरण में अपील के सभी पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नही थी तथा उक्त अपील का निस्तारण पक्षकारों के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सहित अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनवाई का सतुचित अवसर प्रदान करते हुऐ उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये तर्कों पर गौर किये जाने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो

विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नही किया गया कि अपीलान्ट का विवाह दिनांक 15.02.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लागयत 3 की उपस्थिति में बड़ी धूमधाम से करते हुआ था तथा उस विवाह उत्सव पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के गोद पुत्र होने तथा उसे भाई के रूप में स्वीकार करते हुये विवाह उत्सव पर बहन–बेटियों को दिये जाने वाला दान–दहेज राजी–खुशी प्राप्त किया गया था इन परिस्थतियों मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को गोद नही आने तथा अपीलान्ट के गोद आने में अपनी स्वयं की सहमति न होने का कथन कतई गलत होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील कतई न्याय संगत नही होकर विधि विरूद्ध होने के बावजूद अपील स्वीकार किया जाना पूर्णतया गलत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कतई गौर नही किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी भी अपील मे वर्णित आराजी पर कब्जे काश्त नही रही है, रेस्पोडेनट संख्या 1 अपने ससुराल में रहती आई है जिसका पीहर में केलव मिलना–जुलना रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा वर्णित झुंठे तथ्यों को आधार बनाते हुये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के हक में खोले गये नामान्तरकरण को चुनौती दी गई जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने दत्तक पिता स्व. नारायण के चार धाम की तीर्थ यात्रा तथा जीवन के अंतिम पड़ाव में ईलाज पर काफी रूपया पैसा अपने स्वयं की स्वअर्जित आय से खर्च किया गया था जिसकी जानकारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रारम्भ से रही है उसके बावजूद झूंठे तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के हक में खुले गये नामान्तरकरण चुनौती दी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.04.2016 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.24 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1166 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 1.14 वाके ग्राम गढ तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 स्व. श्री नारायण की जायन्दा पुत्री वारिस एवं उत्तराधिकारी है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण का देहावसान दिनांक 30.12.2005 को हो गया है तथा रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री नारायण के तीन जायन्दा पुत्रियॉ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 है तथा वैधानिक रूप से नारायण की सम्पत्ति की विरासत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत डिवोल्व होती है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता के उक्त तीन जायन्दा पुत्रियों के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता नारायण ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया, न ही नारायण द्वारा अपीलान्ट राकेश कुमार शर्मा को कभी जाहिर किया बल्कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व रामजीलाल का पुत्र है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ग्राम देवरी में एक ही परिवार में ब्याही गई है तथा उन्होने व उनके परिजनों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता की भूमि को हड़पने की नियत से जालसाजी व षड़यंत्रपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को धोखा देकर कार्यवाही करवाई है जबकि नारायण ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को कभी गोद नही लिया न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई सहमति या स्वीकृति ली गई तथा गोद सम्बन्धी कोई भी औपचारिकता कभी पूर्ण नही हुई, समस्त कार्यवाही फर्जी एवं साजिशाना तौर पर धोखे व कपटपूर्वक कराई गई है जो बमुकाबले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल अदम बेअसर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जायज हक व अधिकारों के मुकाबले पूर्णतया अवैध व प्रभाव शून्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार नारायण की मृत्यु के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जो कि नारायण की विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है, के नाम ही भरा जाकर तस्दीक किया जाना जाहिये था परन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने राजस्व कर्मचारियों व सरपंच ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के साथ गलत रूप से भरा लिया तथा गुपचूप में पेशीदा तरीके से अकेले अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.04.2006 को तस्दीक करा लिया जो विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 पारित कर प्रकरण तहसीलदार बस्सी को रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न रजिस्टर्ड गोद–पत्र दिनांक 18.11.1996 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार नारायण द्वारा अपीलान्ट को गोद लिया जाकर गोद–पत्र तहरीर किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार नारायण की तीनों पुत्रीयों द्वारा वादग्रस्त आराजी के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सम्बन्ध में अपीलान्ट के पक्ष में इकरारनामें दिनांक 04.09.1995 को तहरीर किये गये है जिनकी छाया प्रतियॉ पत्रावली के संलंग्न है तथा नामान्तरकरण संख्या 80 पर खातेदार का सजरा भी अंकित है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम भी बतौर वारिस अंकित है एवं गोद पत्र का हवाला भी नामान्तरकरण पर अंकित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की सहमति से ही तस्दीक होना प्रतीत होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 80 वाकै ग्राम गढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर पर सरपंच ग्राम पंचायत गढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2006 को बहाल रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।